

परिवहन विभाग
सं0सं0-02/कर माफी-02/2015 परि0
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-3480, दिनांक-17.05.2018 द्वारा MOTOR TRANSPORT OFFICER, FRONTIER HQRS, SSB, PATNA (भारत सरकार) के कुल 04 (चार) नये वाहनों के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Type Vehicle	Chesis NO.	Loading Capacity	Period of Tax	Total Amount (in Rs.)	
					Tax	RSF
1	TATA 407 4x4	MAT505301H8J20429	3800	20-12-2017 TO 20-12-2018	Tax	3,150.00
					RSF	32.00
2	TATA 407 4x4	MAT505301H8J20418	3800	20-12-2017 TO 20-12-2018	Tax	3,150.00
					RSF	32.00
3	TATA 407 4x4	MAT505301H8J20460	3800	20-12-2017 TO 20-12-2018	Tax	3,150.00
					RSF	32.00
4	TATA 407 4x4	MAT505301H8J20439	3800	20-12-2017 TO 20-12-2018	Tax	3,150.00
					RSF	32.00
TOTAL						12728.00

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-3480, दिनांक-17.05.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख द्वारा उपर्युक्त वाहन के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में MOTOR TRANSPORT OFFICER, FRONTIER HQRS, SSB, PATNA (भारत सरकार) के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 12,728.00 (बारह हजार सात सौ अठाईस रुपये मात्र) में से ₹ 12,600.00 (बारह हजार छः सौ रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।


निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-02/2015

3802

पटना, दिनांक- 7/6/18

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/स्टाफ ऑफिसर (PROV) FRONTIER HQRS, SSB, PATNA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।